`न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (अनूपशहर), बुलन्दशहर।

उपस्थितः– राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी वाद संख्या–04/2026

C.N.R.No.- UPBU01-7000033-2026

1. **रामकुमार** पुत्र करन सिंह
2. **हरीराम** पुत्र रामकुमार
3. **अनिल** पुत्र योगेन्द्र
4. **श्रीमती पूनम** पत्नी मोहन
5. **बबीता** पुत्री योगेन्द्र
6. **श्रीमती हीराकली** पत्नी योगेन्द्र
7. **श्रीमती यशोदा** पत्नी राम किशोर
8. **रामकिशोर** पुत्र राम कुमार
9. **मोहन** पुत्र मुकन्दी
10. **योगेन्द्र** पुत्र रामकुमार

समस्त निवासीगण ग्राम–हसनपुर बांगर, थाना–अहार, जिला–बुलन्दशहर।

................**निगरानीकर्तागण**

बनाम

जगतवीर पुत्र रमेश, निवासी ग्राम–हसनपुर बांगर, थाना–अहार, जिला–बुलन्दशहर।

..................................**विपक्षी**

निर्णय

1. प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा–438,440 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), अनूपशहर, जिला–बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या–14/2023 अन्तर्गत धारा–147,452,323 भा0दं0सं0 में पारित आदेश दिनाँकित–12.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण/निगरानीकर्तागण को धारा–147,452,323 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया।

2. निगरानीकर्तागण की निगरानी से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अपने कथन किया है कि मेरा विपक्षीगण से जमीन संबंधित विवाद है। हमारा मुकदमा भी जमीन, के संबंध में इसी न्यायालय में चल रहा है। हम अपने खेत पर ईख की बुआई कर रहे थे। मेरे साथ रामचरण, कन्छिदिया, ललीत, पूजा सूखपाल आदी थे। दिनांक 07, महीना दिसंबर, 2021 की घटना है। समय 12.00 बजे दिन की बात है। वहां कहा सुनी हुई। हम भाग कर घर आ यूये। तीन बजे हमारे घर पर विपक्षीगण ने हमारे साथ मारपीट की। मोहन, योगेन्द्र, सजकुमारी हरिओम, बबीता, पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा, अनिल हमारे घर मारपीट करने आये थे। मेरे दायें पैर के अंगूठे में चोट आई, सुखपाल के जांघ में चोट आई, ललीता के सिर में चोट आई, पूजा के कान में चोट आई, कन्छिदया की पसली टूट गई। शोर शराबा सुनकर कुछ लोग आ गये, फिर वे लोग भाग गये। हम तुरंत थाने गये। अगले दिन एस.एस.पी. के यहां गये, फिर हम न्यायालय आये। हमारे ऊपर विषक्षीगण द्वारा मारपीट का मुकदमा लिखाया रखा है। पहले उनका मुकदमा लिखा गया। हमारा कोर्ट से लिखा गया। परिवादी द्वारा अपने कथानक के

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.07.31 16:33:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समर्थन में स्वंय को न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 200 सी.आर.पी.सी. एवं साक्षीगण पी० डब्लू0 01 हरज्ञान एवं पी०डब्लू 02 सीतारम को धारा 202 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसके आधार पर अवर न्यायालय द्वारा विपक्षीगण मोहन, योगेन्द्र, राजकुमार, हरिराम, बबीता, पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा व अनिल को धारा–147,452,323 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4. अवर निगरानीकर्ता की ओर से निम्न आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है–

आधार निगरानी

अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक'12.12.2025 पूर्ण रूप से गलत एवं त्रुटिपूर्ण है। परिवाद में परिवादी द्वारा दि० 7.12.21 को समय करीब उबजे दोपहर का बताया गया है, जिसमे परिवादी ने प्रार्थीगण / रिवीजनकर्तागण पर एक राय होकर परिवादी के खेत जा`कि वाद सं0 234सन 2017 मे विचाराधीन है. उसमें बोई हुई ईख आदि की परिवादी ने को जोतकर नष्ट कर दिया, इस प्रार्थीगण / रिवीजनकर्तागण से उनकी बोई हुई फसल को नष्ट न करने को कहा, तो प्रार्थीगण/रिवीजनकर्तागण ने एक राय होकर लाठी, डंडे व हसिया लेकर परिवादी के घर के अन्दर घुस आये, और रिवीजनकर्तागण ने परिवादी व उसके परिवारीजन के साथ गाली गलौच व मारपीट की, जिसमे परिवादी जगतवीर के पैर में सुखपाल की जॉघ में संजीव की गर्दन पर दराती से चोट है। पूजा की नाक मे तथा ललिता की गर्दन व सिर में व आँख मे काफी चोट हैं, कंछिदया की पसली टूट गयी हैं। रामचरन के सिर मे काफी चोटे है।" परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में नरेन्द्र पुत्र रमेश का मेडिकल प्रपत्र दाखिल किया है। जिसमे डाक्टर द्वारा मेडिकल करने की दि० 7.12.21 समय 2.20 पी०एम०दर्शाया गया हैं, जिसमे डाक्टर द्वारा समय तथा हथियार के सबध मे कोई राय व्यक्त न करने का लिखित कथन किया गया है। दि० 7.12.21 को ही 2.35 पी०एम० पर पूजा पुत्री सुखपाल का मेडिकल हुआ है। उसी दिन डाक्टर द्वारा ललिता पुत्री रमेश का मेडिकल हुआ है। जिसमे समय 2.45पी०एम० अंकित है। उपरोक्त सभी मेडिकल पुलिस द्वारा कराये गये है, जो परिवाद में दर्शित घटना से पूर्व के है। लेकिन विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दि० 12.12.25 करने से पूर्व उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। जो एक गम्भीर त्रुटि है। इसके अलावा रामचरन का मेडिकल दि० 8.12.21 को समय 12. 20पी०एम०पर हुआ है। जिसमे डाक्टर ने समय और हथियार के सबंध में कोई राय व्यक्त नही की है। इसके अलावा श्रीमती कछदिया का मेडिकल दि० 8. 12.21 को 11.45पी०एम० पर डाक्टर द्वारा किया गया है। जिसमे समय के बारे में एक से तीन दिन की पुरानी चोटो का लिखित कथन डाक्टर द्वारा किया गया है। लेकिन विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद मेडिकल प्रपत्रो से परिवाद में किये गये कथन को समर्थन के सबंध में कोई राय न व्यक्त करते हुए कथित आदेश 12.12.25 पारित कर दिया गया है। 4– यह कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में दर्शाये गये अभि०अनिल व बबीता की आयु जानबूझकर छिपाते हुए परिवाद

में कथित रूप से अभियुक्त दर्शाया गया है, क्योकि कथित नावालिग अभि०अनिल की जन्मतिथि 5.4.05 है जो घटना वाले दिन उसकी आयु 16 वर्ष 8माह 2दिन होती है। कु० बबीता जिसकी जन्मतिथि 15.7.07 है तथा घटना वाले दिन उसकी आयु 14 वर्ष 5 माह 8 दिन होती है। जिसकी विद्वान अवर न्यायालय ने अनदेखी करते हुए तलबी आदेश पारित कर दिया है। घटना 7.12.21 की है, तथा परिवादी द्वारा एस०एस०पी०महोदय बु०शहर द्वारा प्रा०पत्र पर 8.12.21 को टाइप कराकर दि० 9.12.21 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है, लेकिन परिवादी द्वारा परिवाद मा०न्यायालय मे दि० 14.12.22 को योजित किया है। जो करीब 1 वर्ष देरी से किया गया है। लेकिन इस देरी का कोई स्पष्टीकरण परिवादी द्वारा परिवादपत्र मे नही दर्शाया गया है। परिवादी द्वारा अपने बयान अ०धारा 200द0प्र0 संहिता में घटना 12 बजे दिन की बतायी हैं। जो परिवादपत्र में दर्शायी गयी घटना से भिन्न समय की है। उसने अपने बयान में किसी अभियुक्त के हाथ में किसी हथियार के होने का कोई बयान नही दिया है। परिवादी ने अपने बयान मे घटना से अगले दिन एस०एस०पी०के यहाँ जाने का भी कथन किया है। परिवादी ने अपने बयान मे माना हे कि अभि०गण की ओर से उनके उपर मुकदमा थाने पर दर्ज है, इसके अलावा परिवादी द्वारा 20240प्र0संहिता के अतर्गत साक्षी सतेन्द्र पुत्र हरज्ञानसिह का बयान कराया है उसने भी किसी अभियुक्त के हाथ मे कोई हथियार नही दिखाया है। और नाही हथियार से मारपीट की गयी है, यह दर्शाया है। इसके अलावा दूसरे साक्षी सीताराम पुत्र तेजा ने भी अपने बयानो मे भी किसी अभियुक्त के हाथ में कोई हथियार नही दर्शाया है। अवर न्यायालय द्वारा कथित आदेश दि० 12.12.25 पारित करते समय परिवाद की कथानक की सत्यता पर सामान्य मस्तिष्क से विचार न करते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित कर दिया है।अभि०गण की ओर से परिवादी व उसके परिवार वालो पर मु०अ०सं० 229 सन 2021 धारा 323,325,308,506, आईपीसी थाना अहार व मु0अ0सं0 222सन 2021 धारा 323,504,506,427 आईपीसी थाना अहार मे पंजीकृत करा दिये थे। जो मा०अवर न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनो के बयानो मे एक एक लाइन और एक एक शब्द एक सा लिखा हुआ है, जो संभव नही है। क्योकि यदि दोनो साक्षियो के बयान अलग अलग लिखे जायेगे, तो ऐसी समानता सामान्यतः देखने को नही मिलेगी। मा०न्यायालय ने कथित तलबी आदेश दि० 12.12.25 पारित करने से पूर्व इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण / रिवीजनकर्तागण का रिवीजन स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाकित 12.12.25 को निरस्त किया जाना परम आवश्यक है। प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण / रिवीजनकर्तागण का रिवीजन स्वीकार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं० 14 सन 2023 में पारित आदेश दि० 12.12.25 को निरस्त करने की कृपा करे।

5. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के समर्थन में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपशहर के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति व मुकदमा अपराध संख्या–222/2021 की चिक प्रथम

सूचना रिपोर्ट की प्रति, मु0अ0सं0–229 / 2021 की चिक, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. विपक्षी की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 19.12.25 पूरी तरह सच व सही है तथा वास्तविक घटना है। रिवीजनकर्ता ने पहले परिवादी की फसल नष्ट की तथा उसी दिन शाम को प्रार्थी परिवादी के घर में घुसकर उसके परिजनो के साथ मारपीट की जिसका मेडिकल व एक्सरे पत्रावली है. तथा रिवीजनकर्ता को स्वय स्वीकार है। परिवाटी के साथ व उसके परिवार के साथ हुई खेत की घटना का चिकित्सीय परीक्षण कराया है तथा शाम को रिवीजनकर्ता ने परिवादी के घर में घुसकर मारपीट व मय हथियारो के साथ मारपीट की है। परिवादी के साथ व उसके परिजनो के साथ जो रिवीजनकर्ताओ ने घटना की है उसकी वावत परिवादी का पहले ही दवा चुके है कि परिवारीजन व विपक्षीगण के बीच एक सिविल वाद 234 / 2017 मा०सिविल न्यायालय मे योजित था जिसको लेकर विपक्षीगण ने परिवारीजनो के साथ उसके खेत पर 3 बजे दि० 07. 12.21 को मारपीट की तथा पुन शाम को घर में घ ुसकर एक राय होकर मय हथियारो के परिवादी के परिवारीजनो पर हमल किया। 5– यह कि परिवादी ने अपने परिजनो का मेडिकल भी कराया है, जिसका विवरण अवर न्यायालय ने अपने आदेश मे किया गया है। परिवादी ने अपने साथ हुई सत्य घटना तथा परिजनो के साथ हुई मारपीट का पूरा हवाला परिवाद पत्र मे दिया है तथा एस०एस०पी०महोदय को एक शिकायती पत्र दिया है। प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने में अवर न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। ऐसे में उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्‌नुसार निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर विपक्षीगण को धारा–147,452,323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। आलोच्य आदेश में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश किया गया है कि

> ''परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मेडिकल प्रपत्र दाखिल हैं. जिसमें परिवादी एवं उसके परिवारजनों के साधारण चोट आने का उल्लेख कि है। परिवादी के सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 सी.आर.पी.सी. तथा साक्षीगण के समस्त बयान अन्तर्गत धारा 202 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह कथन किया गया है कि मोहन, योगेन्द्र, राजकुमार (हरिओम, बबीता पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा, अनिल द्वारा परिवादी एंव उसके परिवारर्शनों के साथ एक राय मशवरा होकर घर में घुसकर मारपीट की गयी, जो कि अन्तर्गत

धारा 147,452,323 भा.द.स. के प्रावधानों की परिधि में आता है। साक्षी |च्–01 तथा |च्–02 द्वारा भी घटना की पुष्टि की गई। किसी साक्षी द्वारा परिवादी के कथनों के विरोधाभाषी बयान नहीं दिया गया है। परिवादी द्वारा बताई गई चोटों का विवरण साक्षियों द्वारा भी अपने सशपथ बयानों में दिया गया है। जहां तक परिवादी के परिवारजन कन्छिदिया की पसली टूटने का कथन है तो मेडिकल एक्स–रे में इसकी पुष्टि नहीं हुई है तथा परिवादी द्वारा अपने बयान में लाठी–डंडों सहित घर में घुसकर मारपीट करने का कोई कथन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अपने सशपथ बयानों में विपक्षीगण द्वारा उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की बावत भी कोई कथन नहीं किया गया तथा गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी का कोई कथन नहीं किया गया है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, जीसी साथ सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्ट्या विपक्षीगण मोहन, योगेन्द्र, सनकुमार ओम बबीता बबीता पूनम पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा, अनिल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,452,323 भा.द.सु. का मामला बनना प्रतीत होता है।

तदनुसार विपक्षीगण विपक्षीगण मोहन, योगेन्द्र, सजकुमार हरिओम, बबीता, पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा, अनिल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,452,323 भा.द.स. के अपराध में विधारण किए जाने हेतु आहूत किए जाने योग्य है। आदेश–विपक्षीगण मोहन, योगेन्द्र, समकुमार, हरिओम ग्रर्वोता, पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा, अनिल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 147,452,323 भा.द.स. के अपराध में विधारण किए जाने हेतु आहूत किया जाता है।''

9. इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के बयान धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता व उसके साक्षियों के बयान धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर विपक्षीगण मोहन, योगेन्द्र, राजकुमार, हरिराम, बबीता, पूनम देवी, रामकिशोर, हीराकली, यशोदा व अनिल को धारा–147,452,323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आहूत किया गया है। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा <u>सुखवासी</u> बनाम <u>उत्तर प्रदेश राज्य</u> 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इला0–खण्डपीठ),** मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संज्ञेय अपराध कारित होने की दशा में भी मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। <u>प्रियंका श्रीवास्तव</u> बनाम <u>उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,</u> 2015 ए0आई0ए0आर0(दाण्डिक) 298 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया गया है कि जहाँ मामला सिविल प्रकृति का है वहाँ धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र पर आदेश करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रार्थनापत्र में संज्ञेय अपराध के

कारित होने सम्बन्धी कथनों के आधार पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का आदेश पारित करना मजिस्ट्रेट के त्रुटियुक्त कार्य व समाज में अस्वस्थ स्थिति को व्यक्त करता है।

10. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र उपरोक्त में जमीन की बाबत विवाद होना कहा गया है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो तलबी आदेश किया गया है वह विधि सम्मत है। आलोच्य आदेश 12.12.2025 पारित किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। आलोच्य आदेश न्यायसंगत है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आलोच्य आदेश पूर्णरूप से उचित व विधि सम्मत होने के कारण किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है और आलोच्य आदेश स्थिर रहने योग्य है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है तदनुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त होने योग्य है।

आदेश

11. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–04 / 2026, रामकुमार आदि बनाम जगतवीर निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद सं– 14 सन 2023 जगतवीर बनाम मोहन आदि में किया गया आलोच्य आदेश दिनांक–12.12.2025 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति के साथ, मूल पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पक्षकार दिनांक– 12–08–2026 को विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(राजेश कुमार–III)
दिनांक–31.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
यू.पी.आई.डी. 5962

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार–III)
दिनांक–31.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
यू.पी.आई.डी. 5962